न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजीव कुमार, आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :— 488/2025

उनवान

1.केशर कुमार मोहनपुरिया पुत्र भँवरलाल जाति रैगर उम्र—66 वर्ष निवासी शान्ति नगर मनोहरपुर तहसील —शाहपुरा जिला जयपुर(राज)

प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील—शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)
2.नायब तहसीलदार उपतहसील मनोहरपुर तहसील —शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)

अप्रार्थीगण

उपस्थितः— प्रार्थी अधिवक्ता श्री नरेश कुमार आत्रेय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट दुरूस्ती इन्द्राज

आदेश दिनांक 26/11/25

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत पेश किया गया यह कि जिमन नं 01 में हाल खाता संख्या 57 में आराजी खसरा नं0 1818/2 रकबा 0.4100 हैक्टर वाकै ग्राम प्रतापपुरा पटवार हल्का मनोहरपुर भू0अभि0 क्षेत्र मनोहरपुर—तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है। जमाबंदी संख्या —2074 से 2077 बहल्फ वाद पत्र पेश हैं । जिमन नं0 2 में व खाता संख्या —58 खसरा नं0 1699/4,1700/4,1820/2 कुल किता —3 रकबा 0.8350 हैक्टर वाकै ग्राम प्रतापपुरा पटवार हल्का मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित हैं जमाबंदी संख्या —2074 से 2077 बहल्फ प्रार्थना—पत्र हैं । यह कि जिमन नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी पर सम्पूर्ण में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा हैं व उक्त भूमि पर प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा हैं प्रार्थी के आधार कार्ड,पेन कार्ड व बैंक पासबुक में प्रार्थी का नाम केशर कुमार मोहनपुरिया पुत्र भवंरलाल रैगर अंकित हैं व खाता संख्या 57 में वर्णित भूमि की खातेदारी के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम केशमल पुत्र भंवर अंकित हैं । खाता संख्या 58 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम केशरमल पुत्र भंवरा अंकित हैं इस कारण प्रार्थी को राजस्थान सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा कृषको के लिए निर्धारित कृषक कल्याण योजनाओं व किसान केड्रिट कार्ड की ऋण योजनाओं से वंचित होना पडता हैं इस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष दुरूस्ती हेतु प्रार्थना—पत्र पेश करना अति आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की तामील हो चुकी हैं बावजूद तामील अप्रार्थीगण अनुपस्थित ना ही कोई जवाब पेश किया हैं अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई ।वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के आधार कार्ड,पेन कार्ड व बैंक पासबुक में प्रार्थी का नाम केशर कुमार मोहनपुरिया पुत्र भवंरलाल रैगर अंकित हैं जबकि सहवंश राजस्व रिकार्ड के खाता संख्या 57 में प्रार्थी का नाम केशरमल पुत्र भंवर व खाता संख्या 58 में केशरमल पुत्र भंवरा अंकित हो गया हैं इस कारण प्रार्थी को राजस्थान सरकार /केन्द्र सरकार द्वारा कृषको के लिए निर्धारित कृषक कल्याण योजनाओं व किसान केड्रिट कार्ड की ऋण योजनाओं

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी

से वंचित होना पडता हैं अतः राजहित को देखते हुये भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम खाता संख्या –57 में केशरमल पुत्र भंवर की जगह केशर कुमार मोहनपुरिया पुत्र भंवरलाल रैगर व खाता संख्या –58 के राजस्व रिकार्ड में केशरमल पुत्र भवंरा की जगह केशर कुमार मोहनपुरिया पुत्र भंवरलाल रैगर दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि खाता संख्या –57 आराजी खसरा नं0 1818/2 रकबा 0.4100 हैक्टर वाकै ग्राम प्रतापपुरा पटवार हल्का मनोहरपुर –शाहपुरा जिला जयपुर के राजस्व रिकार्ड में केशरमल पुत्र भवंर की जगह केशर कुमार मोहनपुरिया पुत्र भंवरलाल रैगर व खाता संख्या –58 खसरा नं0 1699/4,1700/4,1820/2 कुल किता –3 रकबा 0.8350 हैक्टर वाकै ग्राम प्रतापपुरा में प्रार्थी का नाम केशरमल पुत्र भंवरा की जगह केशर कुमार मोहनपुरिया पुत्र भंवरलाल रैगर दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । साथ ही प्रकरण में राजहित को मध्यनजर रखते हुये नामान्तकरण खोलने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चत करे ।

तहसीलदार शाहपुरा को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार पालना करना सुनिश्चत करे । पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज.

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान